राष्ट्रीय सेवा योजना
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

पता- शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला- बलिया, उ. प्र., पिन कोड- 277301

मोबाइल फोन नंबर- 9452400911 ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com

पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./222/2024-25 **दिनांक- 22/02/2025**

प्रेषक,

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह,
कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

सेवा में,

1. **कुलसचिव,** जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. **प्राचार्य/प्राचार्या,** राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई गठन एवं कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष **2024-25** में शासन के पत्र संख्या–आवं0 05/सत्तर–रा0से0यो0को0–2024–21/2017 दिनांक 08/11/2024 एवं पत्र संख्या-आवं 07/सत्तर-रा.से.यो.को.-2025 दिनांक 07/01/2025 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम हेतु प्रति इकाई आवंटित नियमित छात्र संख्या–100 विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र सं0–50 की गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक – जे0एन0सी0यू0/एन0एस0एस0/117/2024-25, दिनांक–16/11/2024 एवं पत्रांक- जे.एन.सी.यू./एन.एस.एस./176/2024-25, दिनांक- 10/01/2025 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना दी गई थी । इसी क्रम में आपसे अपेक्षित है कि दिनांक 25 फरवरी, 2025 तक अपनी सम्मानित संस्था को आवंटित छात्र व इकाई संख्या के अनुसार इकाई गठित कर इसकी सूचना से (आवश्यक प्रपत्र व पंजीकरण शुल्क सहित) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यह सूचना प्राप्त न होने/विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में आपकी संस्था को समय से अग्रिम राशि जारी करना सम्भव नहीं होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गठन में अधोलिखित बिन्दूओं का अनुपालन अनिवार्य है :–

1. किसी भी दशा में नियमित कार्यक्रम/विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवकों को पंजीकृत/सम्मिलित न किया जाय।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम एवं विशेष शिविर में केवल स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाय। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में सहभागिता करने को इच्छुक प्रत्येक स्वयंसेवक का पंजीकरण निवेश–पत्र के द्वारा किया जायेगा। इस निवेश पत्र की एक प्रति (जिसके साथ विद्यार्थी के हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान सत्र के फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न हो) तथा पंजीकरण शुल्क (रू0 500 प्रति इकाई) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय। निवेश–पत्र पर स्वयंसेवक/स्वयंसेविका का मोबाइल नम्बर, ईमेल व उनके मतदाता बनने की स्थिति का विवरण भी अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय जिनके पास निवेश पत्र का प्रारूप उपलब्ध नहीं है, वे इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट या रा0से0यो0 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिन महाविद्यालयों के कार्यक्रमाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वे कृपया 25 फरवरी, 2025 तक नये कार्यकमाधिकारियों के नियुक्ति/कार्यकाल विस्तार हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। जिन कार्यक्रमाधिकारियों ने सात दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हीं का कार्यकाल विस्तार सम्भव है।

3. जिन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संख्या में वृद्धि हुई है उन महाविद्यालयों से भी अपेक्षित है कि वे नये कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 22फरवरी, 2025 तक पूर्ण करा लें। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आतंरिक विज्ञापन जारी कर न्यूनतम तीन स्थायी प्राध्यापकों के आवेदन पत्र एवं आतंरिक विज्ञापन की प्रमाणित छायाप्रति प्रेषित करनी होगी जिसमें से किसी एक की नियुक्ति माननीय कुलपति जी द्वारा की जायेगी।

4. जिन महाविद्यालयों को नई इकाई आवंटित हुई है उनसे अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) चालू खाता (Current Account) प्राचार्य के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में खुलवा

रा.सिं.

Scanned with OKEN Scanner

लें, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा रा0से0यो0 के अनुदान की राशि उसी खाते में निर्गत की जायेगी।

5. यह भी सूचित करना है कि शासनादेश के अनुसार समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यक्रमाधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के एक वर्ष के भीतर सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण (Orientation Training) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण 1. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, 2. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, मानस नगर, लखनऊ एवं 3. इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आयोजित किये जाते हैं। अतः नवनियुक्त समस्त कार्यक्रमाधिकारियों एवं ऐसे पुराने कार्यक्रमाधिकारियों, जिन्होंने अभी तक अभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सत्र 2024–25 के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय–सारिणी व आवेदन–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी सूच्य है कि उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई भी अभिविन्यास प्रशिक्षण राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारियों हेतु मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण केवल आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध वे अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमाधिकारियों को सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अवश्य भेजें।

6. कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सत्र 2023-24 की वार्षिक आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अविलम्ब इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा की स्थिति में सत्र 2024-25 में आपके महाविद्यालय की इकाई निरस्त की जा सकती है। वित्तीय अभिलेखों के ऑडिट का कार्य आरम्भ होने पर, इसे अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

7. <u>सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक</u> :– राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी आयोजन हेतु आवश्यक है कि सलाहकार समिति का गठन कर उसकी

क्रमशः

बैठक यथाशीघ्र कर लें। इस बैठक में सत्र की कार्ययोजना विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त तय कर ली जाय। **महाविद्यालय की सलाहकार समिति का गठन** अधोलिखित ढंग से होगा-

1. प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2. सामाजिक सेवा पृष्ठभूमि वाले दो प्राध्यापक	–	सदस्य
3. विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
4. चयनित ग्राम / मलिन बस्ती का एक प्रतिनिधि (प्रधान / वार्ड मेम्बर)	–	सदस्य
5. दो राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक	–	सदस्य
6. कार्यक्रमाधिकारी	–	सदस्य सचिव

सलाहकार समिति के गठन एवं बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवायी जाय।

8. विभिन्न दिवसों का आयोजन– सत्र 2024-25 में समस्त कार्यक्रमाधिकारियों को नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 घण्टे की कार्य योजना बनानी है, जिसमें चार एक दिवसीय शिविर भी सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों में रेड रिबन क्लब का गठन एवं कार्यक्रमों का आयोजन जैसे- रक्तदान शिविर, एड्स पर जागरूकता शिविर, मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव पर जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि, पौधरोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियां, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, पल्स पोलियो जागरूकता अभियान, टी.बी. उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम, फालेरिया मुक्ति अभियान, कूड़ा प्रबन्धन हेतु जागरूकता, जल संरक्षण जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता, श्रमदान कार्यक्रम आदि हो सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी सामाजिक - पर्यावरणीय मुद्दे पर कार्यक्रम हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी स्वयंसेवकों की सहभागिता अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त या साथ में इस वित्तीय वर्ष में अधोलिखित प्रमुख दिवसों पर भी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है :–

1. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस- 28 फरवरी
2. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस–8 मार्च
3. विश्व वन दिवस–21 मार्च
4. विश्व जल दिवस- 22 मार्च
5. विश्व तपेदिक/क्षयरोग दिवस- 24 मार्च

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक स्वयंसेवक की वर्ष भर में नियमित कार्यक्रम में 120 घंटे की सहभागिता अनिवार्य है तथा किये गये कार्य का विवरण डायरी में तिथिवार अंकित किया जाय। प्रमुख दिवसों का डिजिटल प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जाय तथा इन दिवसों पर आयोजित कार्यक्रमों की आख्या/फोटोग्राफ तथा अखबारों की कतरनों को समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय। **सत्र समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक इकाई का प्रतिवेदन- फोटोग्राफ व अखबार की कतरनों सहित अधोहस्ताक्षरी को 15 अप्रैल, 2025 तक** अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसमें इकाई के द्वारा आयोजित अधोलिखित कार्यक्रमों का विवरण अवश्य होना चाहिए-

1. इकाई द्वारा साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या-
2. इकाई द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजनों की संख्या तथा दान किये गये रक्त का विवरण (यूनिट में)-
3. इकाई के स्वयं सेवकों के माध्यम से रोपित किये/करवाये गये पौधों की संख्या-
4. जल संसाधन प्रबन्धन हेतु किये गये प्रयास व परिणाम-
5. स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण का विवरण-
6. कार्यशाला/गोष्ठी आदि का आयोजन-
7. मतदाता जागरूकता हेतु किये गये प्रयास-
8. अन्य महत्वपूर्ण कार्य (स्पष्ट उल्लेख करें)-

9. नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना- सत्र 2024-25 में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों कार्य योजना बनाते समय अधोलिखित पर विशेष ध्यान दें-

1. कार्ययोजना न्यूनतम 120 घंटे के नियमित कार्यक्रमों की होगी।
2. इसमें चयनित ग्राम में 4 एकदिवसीय शिविर (प्रत्येक 8 घंटे की अवधि के) स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।
3. कार्य योजना तभी मान्य होगी जब अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उससे अवगत करा दिया जाय।
4. कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत होगा-

ह०सिंह

Scanned with OKEN Scanner

सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम कार्य योजना

महाविद्यालय का नाम–

इकाई संख्या–

छात्र संख्या–

कार्यक्रम अधिकारी का नाम–

चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम तथा महाविद्यालय से इसकी वास्तविक दूरी–

प्रस्तावित कार्यक्रम/गतिविधियां-

क्र0सं0	तिथि	अवधि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1				

नोट– चयनित ग्राम/मलिन बस्ती हेतु यद्यपि 8 किमी सीमा निर्धारित है तथापि व्यावहारिक रूप से ऐसे गांव/बस्ती चयनित किये जाय जो न्यूनतम दूरी पर हो तथा जहां वास्तव में योजना (रा0से0यो0) की आवश्यकता है एवं वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

10. **स्वामी विवेकानन्द एन0एस0एस0 पुरस्कार**– विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के 5 श्रेष्ठ स्वयंसेवकों व 5 श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारियों को इस वर्ष स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार के लिए कम से कम 2 वर्ष से कार्यरत व प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी तथा 02 वर्ष तक स्वयं सेवक रहे छात्र/छात्राएं अर्ह (Eligible) हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय के 01 अर्ह एवं उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी व 01 स्वयं सेवक का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्धियों के विवरण, फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रों के कतरन सहित 31 मई, 2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित प्रारूप यदि उपलब्ध न हो तो उसे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय एक समिति द्वारा लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. ग्राम/मलिन बस्ती सर्वेक्षण– प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चयनित ग्राम/मलिन बस्ती में सर्वेक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य सामान्यतः प्रथम एक दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किया जाना चाहिये। यह सर्वेक्षण विशेष शिविर की कार्य योजना बनाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। विशेष कार्याधिकारी रा0से0यो0 प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में एक ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। जिन महाविद्यालयों में उक्त प्रपत्र न हों वे विश्वविद्यालय रा0से0यो0 कार्यालय से उक्त प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सर्वेक्षण प्रपत्र में स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा संकलित तथ्यों का प्रतिवेदन वार्षिक आख्या के साथ प्रेषित करना भी अनिवार्य है।

12. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना वेबसाइट :– राष्ट्रीय सेवा योजना, चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की वेबसाइट का निर्माण प्रस्तावित है। वेबसाइट पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की आख्या, फोटोग्राफ एवं अखबारों की कटिंग दिन–प्रतिदिन अपलोड किये जाते रहेंगे। वेबसाइट की देखरेख एवं सूचनाओं को अपलोड करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी का रहेगा, इसके साथ ही साथ आपसे यह भी अपेक्षित है कि नियमित रूप से विश्वविद्यालय / रा0से0यो0 के वेबसाइट का अवलोकन करते रहें क्योंकि समस्त सूचनायें वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रेषित की जायेंगी।

13. शासनादेश के अनुसार अब जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों/ स्वयंसेविकाओं का प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद प्रमाण–पत्र पाने के अर्ह स्वयंसेवकों को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में प्रमाण–पत्र हेतु अर्ह स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं की प्रमाणित सूची अधोलिखित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह प्रोफार्मा (प्रारूप) निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	सामान्य कार्यक्रम के सत्र जिसमें छात्र/ छात्रा द्वारा कार्य किया गया हो		विशेष शिविर की तिथियां जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा सहभागिता की गयी हो
				प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	दिनांक से दिनांक तक
1	2	3	4	5	6	7
1						

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्वयंसेवक/स्वयंसेविका ने 240 घण्टा एवं दो वर्ष कार्य पूर्ण करते हुए सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लिया है।

हस्ताक्षर प्राचार्य	**हस्ताक्षर कार्यक्रमाधिकारी**
(मुहर सहित)	(मुहर सहित)

14. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण माह फरवरी, 2025 में प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक कार्यक्रमाधिकारी की सहभागिता अनिवार्य है।

15. अधोलिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी को 25 फरवरी, 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें :–

a) पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्र, पंजीकरण शुल्क व इकाई गठन की सूचना ।
b) नियमित कार्यक्रम की कार्य योजना ।
c) सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवृत्त/आख्या ।
d) एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन का प्रस्ताव ।
e) रेड रिबन क्लब गठन हेतु पूरित प्रपत्र ।
f) रोड क्लब गठन हेतु पूरित प्रपत्र ।
g) ऐसे कार्यक्रमाधिकारी जिन्होंने अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता नहीं की है, के द्वारा यह सूचना कि वे किस अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता कर रहे (लिखित रूप में) हैं?

16. एक दिवसीय शिविर :– जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा प्रथम तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अधोलिखित में से किन्हीं तीन तिथियों में आयोजित किये जायेंगे, जबकि चतुर्थ एक दिवसीय का आयोजन विशेष शिविर आयोजन के एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की सूचना स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य प्रेषित कर दी जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में शिविर का आयोजन स्वतः ही अमान्य हो जायेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की सफाई या आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वरा कभी भी किया जा सकता है। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण न तो कार्यक्रम समन्वयक के अतिरिक्त किसी के द्वारा किया जायेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गयी निरीक्षण आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन का समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक है। इस समय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इससे

ह०/-

Scanned with OKEN Scanner

भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। प्रत्येक एक दिवसीय शिविर में कार्यक्रमाधिकारी एवं 100 पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीन एक दिवसीय शिविरों के आयोजन के उपरान्त ही सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मान्य होगा। एक दिवसीय शिविरों का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में ही करना अनिवार्य है। चारों एक दिवसीय शिविर समाप्त हो जाने के 15 दिन के भीतर स्वयंसेवकों के उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नलिखित हैं :–

1. 23 फरवरी, 2025 रविवार
2. 26 फरवरी, 2025 बुधवार
3. 28 फरवरी, 2025 शुक्रवार
4. 2 मार्च, 2025 रविवार
5. 9 मार्च, 2025 रविवार
6. 30 मार्च 2025 रविवार

नोट :– उपरोक्त में से किन्हीं तीन तिथियों का चयन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन के पूर्व किया जायेगा तथा अन्तिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के उपरान्त अपनी सुविधानुसार किया जायेगा परन्तु सभी **एक दिवसीय शिविरों की तिथि** पूर्व से ही निश्चित कर उसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहित **क्रमांक** 19 में उल्लेखित अधिकारियों को भी **कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा।**

17. सात दिवसीय विशेष शिविर (दिन–रात) :– सात दिवसीय विशेष (दिन–रात) शिविर का आयोजन अधोलिखित विवरणानुसार किया जायेगा। इन्हीं तिथियों पर विशेष शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा। **विशेष शिविर आयोजन की सूचना उचित प्रारूप (संलग्नक-1) पर शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित नहीं करने की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष शिविर दिन–रात का होगा तथा दिवसीय विशेष शिविर किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। अतः इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार न किया जाय। यह भी सूच्य है कि विशेष शिविर का निरीक्षण क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय

Scanned with OKEN Scanner

निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा किसी भी समय (रात या दिन) किया जा सकता हैं। उपरोक्त तीनों अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया निरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष शिविर का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो उसे उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किसी द्वारा अधिकार पत्र अवश्य प्रदान किया जायेगा। शिविर के दौरान समस्त आवश्यक अभिलेख (पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति पंजिका, स्टाक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, परियोजना प्रस्ताव, स्वयंसेवकों की डायरी आदि) शिविर स्थल पर कार्यक्रमाधिकारियों के पास अवश्य होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन अभिलेखों की मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन से पूर्व तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अनिवार्य है। सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में किया जाना अनिवार्य है।** सभी कार्यक्रमाधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दें। उक्त नम्बर विशेष शिविर के दौरान दिन–रात ऑन रहना चाहिए।

18. भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई–मेल के माध्यम से डॉ. मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, **कक्ष संख्या- 47, तृतीय तल, बहुखण्डीय भवन सचिवालय, विधान सभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ- 226001** एवं **श्री समरदीप, सक्सेना,** क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024 को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में इकाई निरस्त कर दिया जायेगा, इसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

19. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों की इकाईयों को निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 2 पृष्ठ (7x2=14), प्रत्येक दिन की कम से

Scanned with OKEN Scanner

कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ X7=पृष्ठ) संलग्न होनी चाहिए। रिपोर्ट की साफ्ट कॉपी (वर्ड फाइल) कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया एवं विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को क्रमशः उनके ई-मेल आईडी.- nssjncu@gmail.com एवं upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।

20. स्ववित्तपोषित इकाइयों हेतु शासन से कोई अनुदान नहीं होगा।

21. कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव से लिखित अनुमति अवश्य ले लें । इस लिखित अनुमति से कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय को ई-मेल आईडी- nssjncu@gmail.com के माध्यम से अवश्य सूचित करें, ताकि आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जा सके।

22. राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व MY Bharat Portal पर Event create करें और कार्यक्रम के आयोजन के उपरांत सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो एवं प्रकाशित समाचार की फोटो को MY Bharat Portal पर अपलोड कर उसे पब्लिश कर दें।

सात दिवसीय विशेष शिविर की तिथि

अवधिः– 20 मार्च, 2025 से 26 मार्च, 2025

1. श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
2. श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरहीं, रसड़ा, बलिया
3. गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय, करनई, बलिया
4. राधामोहन किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, नियामतपुर, कन्सो, बलिया
5. किसान पी0जी0 कालेज, रकसा, रतसड़, बलिया
6. देवेन्द्र पी0जी0 कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया
7. दूजा देवी महाविद्यालय रजौली, सहतवार, बलिया
8. पृथ्वी शिव किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, श्रीनाथ रोशन नगर, रसड़ा, बलिया
9. शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, नगवां, बलिया
10. श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

11. अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुबे छपरा, बलिया
12. श्री स्वामीनाथ सिंह सुरेन्द्र महाविद्यालय, धरमपुर काजीपुर, बलिया
13. दुलेश्वरी सुखदेव (डी0एस0) मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कालेज, रतसड़, बलिया
14. सतीश चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
15. कुँवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
16. जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चितबड़ागांव, बलिया
17. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया परिसर
18. गुलाब देवी महिला महाविद्यालय, बलिया
19. गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया
20. श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया
21. गौरी भईया महाविद्यालय, सागरपाली, बलिया
22. श्रीमती फुलेहरा स्मारक पी. जी. कालेज, कमतैला, रसड़ा, बलिया
23. कमला देवी बाजोरिया डिग्री कालेज, दुबहर, बलिया
24. अनिरुद्ध यादव महाविद्यालय, पुर, बलिया
25. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसडीह, बलिया
26. एम. एन. बी. मेमोरियल महाविद्यालय, कोटवा, नारायनपुर, बलिया
27. कपिलदेव परमेश्वरी मेमोरियल महाविद्यालय, सुहवां, बलिया

शासन से प्राप्त अनुदान का विवरण-

राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि का विवरण पत्र अधोलिखित है। कृपया विवरणानुसार ही व्यय सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में इससे अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

<u>सामान्य कार्यक्रम</u>

क्र0सं0	मद	छर	इकाई हेतु अधिकतम उपलब्ध राशि (रूपये में)
1	कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	500 प्रतिमाह	6000/–
2	अंशकालिक लिपिक को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	185 प्रतिमाह	2200/–
3	अंशकालिक परिचर को आउट ऑफ पॉकेट एलाउन्स	125 प्रतिमाह	1500/–
4	स्टेशनरी		3000/–
5	उपकरण		3000/–
6	सामान्य कार्यक्रम		9000/–
7	चार एक दिवसीय शिविर	रू0 20 प्रति छात्र	8000/–
8	कार्यक्रम अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पर यात्रा व्यय		1300/–
9	अनुषांगिक व्यय (प्रति यूनिट)		500/–
	कुल योग		**34500/–**

<u>विशेष शिविर</u> :– विशेष शिविर (दिन–रात) का सात दिन का होगा, जिसमें प्रति स्वयंसेवक रूपये 700/– के दर से अर्थात् 50 छात्रों हेतु अधिकतम रूपये 35000/– एक इकाई पर व्यय हेतु प्राप्त होगा।

(नोट–दिवसीय विशेष शिविर मान्य नहीं होगा परन्तु यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि शिविर मात्र दिन में ही आयोजित हुए हैं, तो ऐसी दशा में उस इकाई को रूपये 20 प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से ही भुगतान किया जायेगा।)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के आयोजन के सन्दर्भ में किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी के सहयोग से वर्ष पर्यन्त राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित होती रहेंगी।

<u>संलग्नक</u> :– **यथोपरि।**

भवदीय,

22/02/2025

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह,

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना
कार्यक्रम समन्वयक
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001।
2. डॉ. मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, कक्ष संख्या- 47, तृतीय तल, बहुखण्डीय भवन सचिवालय, विधान सभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ- 226001 ।
3. श्री समर दीप सक्सेना, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (यू.पी.,यू.के.), लखनऊ, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024
4. निजी सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
6. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. कार्यालय प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
8. प्रभारी-वेबसाइट को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

22/02/2025

डॉ0 कृष्ण कुमार सिंह,

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-1

सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन की सूचना प्रेषित करने का प्रपत्र

1.विश्वविद्यालय /माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक जोन का नाम	
2. महाविद्यालय /माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक जोन का नाम	
3. एकदिवसीय शिविरों के आयोजन की तिथियां	
4. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन की तिथि एवं दिवस-रात्रि शिविर आयोजन पूर्वांचल हेतु प्राचार्य/ कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित पत्र (संलग्नक)	
5. प्राचार्य/कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक का नाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी	
6. कार्यक्रम अधिकारी का नाम	
7. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा आधार नंबर	
8. कार्यक्रम अधिकारी- प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित	
9. चयनित ग्राम का नाम	
10. स्वयंसेवकों के रुकने का स्थान	
11. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती के ग्राम प्रधान/सभासद का नाम	
12. ग्राम प्रधान/सभासद से विशेष शिविर आयोजन हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई है (पत्र संलग्न)	
13. चयनित ग्राम में एक दिवसीय सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण के आधार पर विशेष शिविर का प्रोजेक्ट	
14. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुंचने का साधन एवं दिशा मार्ग	

नोट- 1.भारत सरकार एवं राज्य सरकार को विशेष शिविर आयोजन की सूचना 15 दिन पूर्व दिए जाने का साक्ष्य स्पीड पोस्ट नंबर एवं दिनांक अंकित कर विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मंडल /प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र कार्यालय तथा जिलाधिकारी को सूचना दें। सूचना देने के पश्चात ही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई विशेष शिविर का आयोजन करें।

2. प्रत्येक इकाई के विशेष शिविर आयोजन की सूचना पृथक से दें।

कार्यक्रम अधिकारी
का हस्ताक्षर

प्राचार्य/कुलसचिव
का हस्ताक्षर

कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक
का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–1175 / सत्तर–रा0से0यो0को0–10–09 / 2010

प्रेषक,

डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0,
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
रा0से0यो0 से संबंधित समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
योजना से संबंधित समस्त क्षेत्र / जोन, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ दिनाँक 10 दिसम्बर, 2010

विषय :राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इकाईयों द्वारा रा0से0यो–सात दिवसीय (दिन–रात) शिविरों में निम्न बिन्दुओं के अनुसार विशेष शिविर का आयोजन किया जाय :–

1. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व 03 एक दिवसीय शिविर चयनित ग्राम में आयोजित किये जायं। प्रथम एक दिवसीय शिविर में अभिगृहीत क्षेत्र का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र पर कराया जाय। सर्वेक्षण में साक्षरता व स्वच्छता की स्थिति के साथ–साथ वृद्धों की समस्याओं, कूड़ा–प्रबन्धन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, विकलांग / असहाय महिलाओं की समस्यायें, कुष्ठ रोग, सूखा रोग, गठिया, महिलाओं के चिकित्सा की व्यवस्था, स्वरोजगार की उपलब्धता आदि की जानकारी ली जाय। अन्य एक दिवसीय शिविरों में उक्त समस्याओं में से कतिपय समस्याओं का चयन कर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाय।
2. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर आयोजन की सूचना महाविद्यालय द्वारा 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर 1. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, भारत सरकार, लखनऊ 2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (रा0से0यो0कोष्ठक) विभाग को भेजा जाय। सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य के मोबाईल नं0 तथा शिविर स्थल तक पहुँचने के मार्ग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजी जाय।
3. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व प्रतिभागी स्वयंसेवकों को बैज, डायरी प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय। स्वयंसेवक प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यों का उल्लेख करें तथा कार्यक्रम अधिकारी उनके कार्य के सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर हस्ताक्षर करें।
4. शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों के उपस्थिति का रजिस्टर बनाकर रखा जाय तथा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 8.00 बजे व रात्रि 09.00 बजे उनके दो बार हस्ताक्षर करायें जाय ताकि कार्यक्रम अधिकारी को स्वयंसेवकों की संख्या पर सन्देह न रहे।
5. विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में प्रतिदिन दैनिक कार्यों में मध्यान्ह भोजन के बाद एक बौद्धिक गोष्ठी तथा सायं सत्र में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।
6. विशेष शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों की टोली बनाकर भोजन व जलपान उन्हीं के द्वारा बनवाया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

बाजार से लन्च पैकेट, रेडीमेड खाद्य सामग्री का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

7. राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में रखा जाय।

8. विशेष शिविर के आयोजन हेतु तिथियों का निर्धारण वि0वि0/मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र स्तर से किया जाय। दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में शिविर आयोजन हेतु छात्र संख्या के आधार पर कतिपय तिथियों का निर्धारण कर लिया जाय। प्रयास यह किया जाय कि एक जनपद में एक ही तिथि अन्तराल (Date Span) पर विशेष शिविरों का आयोजन हो। मार्च माह में शिविरों के आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थिति में ही दी जाय।

9. भारत सरकार के मैनुवल में विशेष शिविर का आयोजन दिवसीय किये जाने का उल्लेख नहीं है। मात्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिवसीय शिविरों का आयोजन मान्य नहीं है। अत्यन्त विशिष्ट परिस्थिति में ही दिवसीय विशेष शिविरों की अनुमति शासन से पूर्व सहमति लेकर दी जाय।

10. विशेष शिविर आयोजन की सूचना भारत सरकार व राज्य सरकार का शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व दी गयी है, की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल व प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र द्वारा विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुदान चेक द्वारा जारी किया जाय।

11. ग्राम का चयन महाविद्यालय/कालेज के निकट (08 किमी की परिधि के अन्दर) किया जाय। अम्बेडकर ग्राम/मलिन बस्ती के चयन पर प्राथमिकता दी जाय। शिविर का उद्घाटन व समापन शिविर स्थल पर ही किया जाय। महिला स्वयंसेवकों की स्थिति में यदि शिविर स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा/आवासीय सुविधा न हो तो कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराते हुए महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था की जा सकती है। शिविर स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल/पर्यटक स्थल का चयन मान्य नहीं होगा। स्वयंसेवकों को विशेष शिविर के दौरान किसी तीर्थस्थल व अन्य जगह भ्रमण पर ले जाना भी वर्जित है। महाविद्यालय से शिविर स्थल तक आने जाने पर धनराशि का व्यय मान्य नहीं है।

12. विशेष शिविर के आयोजन के पहले दिन स्वयंसेवक प्रत्येक दशा में प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचे। शिविर समापन (सातवे दिन) अपराह्न 4.00 बजे कराया जाय। समापन के बाद स्वयंसेवकों को भोजन आदि कराते हुये शिविर स्थल से विदाई की जाय। रात्रि में यदि शिविर स्थल से घर जाने में असुविधा हो तो कार्यक्रम अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि रात्रि में स्वयंसेवकों को शिविर स्थल पर रोकते हुए प्रातः घर भेजा जाय।

13. शिविर में सर्वे के आधार पर विशिष्ट लोगों यथा—डाक्टर, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य लाभ हेतु योगा, फीजियोथिरैपिस्ट, नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत के लोगों को बुलाया जाय, सर्वे में प्राप्त विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाय।

14. शिविर स्थल पर छात्र पंजीकरण की सूची, उपस्थिति पंजी के साथ—साथ अन्य अभिलेख भी रखे जाय, जिसे निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाय।

15. शिविर स्थल पर शिविरार्थियों के रूकने की संतोषजनक व्यवस्था हो। दरी, गद्दे, कम्बल, रजाई की व्यवस्था स्वयंसेवक स्वयं करेंगे तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

16. निरीक्षण अधिकारी को स्वयंसेवकों के रूकने हेतु सभी सामान व खाने की व्यवस्था उपलब्ध है, दिखाया जाय। निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों से हस्ताक्षर कराकर सूची उपलब्ध कराना कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

Scanned with OKEN Scanner

17. निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को पूर्णरूप से भरा जायेगा, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाय।

18. सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर का अनुदान अलग-अलग चेक द्वारा दिया जाय।

19. विशेष शिविर हेतु अनुदान सूचना प्राप्ति के पश्चात् एकमुश्त दिया जाय। विशेष शिविर का अनुदान दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

20. विशेष शिविर के आयोजन के बाद अंतिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर पूर्व के समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराया जाय तथा अवशेष रह गये कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या-1175(1)/सत्तर-रा0से0यो0को-9/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, योजना संबंधित समस्त विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, वाई0एस0-III, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय केन्द्र, हाल नं0-1, आठवाँ तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,
डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner